**न्यायालयः औद्योगिक अधिकरण एवं श्रम न्यायालय, भरतपुर (राज0)**

पीठासीन अधिकारीः अतुल कुमार सक्सेना
राज0 न्यायिक सेवा (जिला न्यायाधीश संवर्ग)

प्रकरण संख्या–एल.सी.आर. संख्या–75/2010(1640/2014)
(**लक्षित प्रकरण क्रमांक–06**)

प्रसंगः राजस्थान सरकार, श्रम विभाग की अधिसूचना संख्या एफ.1(1)404/श्र.नि./2010 दिनांक 21.07.2010

मृतक लेखराज पुत्र श्री ग्यासी राम नाई के वारिसान
1. लज्जावती पत्नी स्व0 श्री लेखराज
2. महेश पुत्र स्व0 श्री लेखराज
जरिये महामंत्री, देवेन्द्र सिंह जिला सिनेमा मजदूर संघ, भरतपुर (राज0)। ...***प्रार्थीगण***

**बनाम**

1. व्यवस्थापक पिक्चर पैलेस सिनेमा कुम्हेर गेट भरतपुर।
2. रिप्रेजेटेटिव, राजेन्द्र प्रसाद मैमोरिया फिल्म डिस्ट्रब्यूटर्स फिल्म कोलोनी, जयपुर (राज0) ....***अप्रार्थीगण***

**निर्देश/विवाद अन्तर्गत धारा 10(1)ग औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947**

**उपस्थिति** प्रतिनिधि/अधिवक्तागण :–
प्रार्थीगण की ओर से : श्री उदयभान सिंह दीक्षित
अप्रार्थी संख्या–1 की ओर से : श्री राजेश मित्तल
अप्रार्थी संख्या–2 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही

**पंचाट**

**दिनांक 09.03.2026**

1. राजस्थान सरकार के श्रम विभाग द्वारा औधोगिक विवाद अधिनियम 1947 (जिसे आगे चलकर 'अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 10(1)ग सपठित धारा 12(5) के तहत यह औधोगिक विवाद इस न्यायालय में अधिनिर्णय हेतु प्रेषित किया हैः–

''क्या प्रार्थी श्रमिक श्री लेखराज पुत्र श्री ग्यासी राम नाई (जिसका प्रतिनिधित्व श्री देवेन्द्र सिंह महामंत्री, जिला सिनेमा मजदूर संघ, भरतपुर ने किया है) अप्रार्थी व्यवस्थापक, पिक्चर पैलेस कुम्हेर गेट भरतपुर एवं रिप्रेजेन्टेटिव, राजेन्द्र प्रसाद मैमोरिया फिल्म डिस्ट्रीव्यूटर्स फिल्म कोलोनी, जयपुर के मध्य नियोजित–नियोजक का सम्बन्ध रहे है? यदि हॉ, तो क्या अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी श्रमिक श्री लेखराज पुत्रश्री ग्यासी राम को दिनांक 30.11.2007 से सेवा पृथक करना उचित एवं वैध है? यदि नहीं तो श्रमिक किस राहत एवं राशि को पाने का अधिकारी है?''

2. प्रार्थी की ओर से एक वाद विवरण (स्टेटमेन्ट आफ क्लेम) इस आशय का पेश किया गया कि प्रार्थी अप्रार्थी संख्या–1 पिक्चर पैलेस सिनेमा पर गेट कीपर के पद पर दिनांक 01.01.1978 से स्थाई श्रमिक है। प्रार्थी का कार्य संतोषजनक रहा है। अप्रार्थी संस्थान प्रोवींडेंट फण्ड की राशि प्रार्थी की तनख्वाह में से हर माह काटते थे तथा प्रार्थी का फण्ड खाता संख्या न दिये जाने बाबत प्रार्थी ने भविष्य निधि आयुक्त जयपुर को शिकायत की थीं। प्रार्थी जब दिनांक 30.11.2007 को सिनेमा पर ड्यूटी देने गया तो व्यवस्थापक ने यह कह दिया कि आपको नौकरी से हटा दिया गया है। प्रार्थी को सेवा समाप्ति का कोई कारण भी नहीं बताया और न हीं नोटिस एवं बकाया वेतन हीं दिया। अप्रार्थी ने गैर कानूनी मौखिक आदेश से दिनांक 30.11.2007 से सेवा समाप्त कर दीं। प्रार्थी की सेवा समाप्ति से पूर्व धारा 25 जी के प्रावधानों के अनुसार वरिष्ठता सूचीं जारीं कर कनिष्ठतम श्रमिक को सेवा से पृथक करना चाहिये था। अप्रार्थी द्वारा धारा 25 एफ के प्रावधानों की पालना नहीं की गई है। प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या–2 को इसलिये पार्टी बनाया है कि राजेन्द्र प्रसाद मेमोरिया फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर्स फिल्म कोलोनी जयपुर ने पिक्चर पैलेस सिनेमा को लीज पर ले रखा है, जिसका दायित्व भी डिस्ट्रीब्यूटर्स पर जाता है, क्योंकि व्यवस्थापक पिक्चर पैलेस सिनेमा तथा डिस्ट्रीब्यूटर्स के बीच 10–15 सालों से जो ऐग्रीमेंट है, नियोजित नियोजक के सम्बन्ध रहे है, उसे संख्या–1 लगायत संख्या–2 भलीभॉति जानते हैं। कर्मचारियों को तनख्वाह भी डिस्ट्रीब्यूटर्स देता आया है। अप्रार्थी द्वारा धारा 25जी व 25एफ के प्रावधानों की पालना नहीं की है। अतः प्रार्थी को पुनः सेवा में संवेतन लिया जावे।

3. अप्रार्थी की ओर से वाद विवरण का जबाव पेश कर क्लेम के तथ्यों को अस्वीकार कर अभिकथित किया गया है कि, प्रार्थी कभी भी अप्रार्थी संख्या–1 के अधीन पिक्चर पैलेस सिनेमा पर गेट कीपर के पद पर नियुक्त नहीं रहा है तो प्रार्थी का प्रोवीडेंट फण्ड की राशि हर माह तनख्वाह से काटने का कथन गलत है। अप्रार्थी का विभाग औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत उद्योग की श्रेणी में नहीं आता है। प्रार्थी ने क्लेम में सेवा समाप्ति की तिथि 30.11.2007 अंकित की है, जबकि प्रार्थी ने कभी भी अप्रार्थी के अधीन कार्य ही नहीं किया है। उत्तरदाता उक्त संस्थान में व्यवस्थापक के पद पर ही

कार्यरत है, उक्त संस्थान का मालिक उत्तरदाता नहीं है, इसलिये प्रार्थी उत्तरदाता से कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः प्रार्थी का स्टेटमेंट ऑफ क्लेम निरस्त फरमाया जावे।

4. प्रार्थी ने अपनी तरफ से मौखिक साक्ष्य के रूप में स्वयं को परीक्षित कराया है तथा दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श डब्ल्यू-1 से प्रदर्श डब्ल्यू-26 दस्तावेज पेश किये गये। अप्रार्थीगण की ओर से गवाह मनोज शर्मा ने मुख्य परीक्षा हेतु शपथ पत्र पेश किया तथा स्वयं को मौखिक साक्ष्य में परीक्षित कराया है और कोई प्रलेखीय साक्ष्य प्रदर्शित नहीं करायी है।

5. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस अन्तिम सुनी गई। पत्रावली का आध्योपान्त परीशीलन किया गया एवं सुसंगत विधि का विवेचन किया।

6. बहस के दौरान विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी का तर्क यह रहा है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण संस्थान पिक्चर पैलेस सिनेमा पर गेट कीपर के पद पर दिनांक 01.01.1978 से 30.11.2007 तक लगातार कार्य किया है। प्रार्थी के नियोजन से सम्बन्धित समस्त दस्तावेज अप्रार्थी संख्या-1 के पावर व पजेशन में थे, जिन्हें तलब कराने का प्रार्थना पत्र न्यायालय में दिनांक 12.04.2023 को पेश किया गया तथा उस प्रार्थना पत्र पर न्यायालय हाजा द्वारा अपने आदेश दिनांक 26.06.2024 द्वारा अप्रार्थीगण को उक्त दस्तावेजाज हाजिरी रजिस्टर, वेतन सम्बन्धी आदि दस्तावेज पेश करने का आदेश दिया गया था, परन्तु अप्रार्थीगण द्वारा रिकार्ड पेश नहीं किया गया है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध विपरीत उपधारणा ली जावे एवं प्रार्थी का क्लेम स्वीकार कर वांछित अनुतोष दिलाया जावे।

7. इन तर्को के खण्डन में विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थीगण द्वारा यह तर्क दिया गया है कि यह साबित करने का भार प्रार्थी पर था कि, उसकी नियुक्ति गेट कीपर के पद पर दिनांक 01.01.1978 को अप्रार्थी संख्या-1 द्वारा ही की गई थी और उसे सेवा से दिनांक 30.11.2007 को हटाया गया है। परन्तु प्रार्थी की तरफ से इस सम्बन्ध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं की गई है। प्रार्थी के कहने मात्र से ही प्रार्थी की नियुक्ति व सेवा समाप्ति साबित नहीं मानी जा सकती है। प्रार्थी ने स्टेटमेंट ऑफ क्लेम मे यह अभिलिखित किया है

कि कर्मचारियों को तनख्वाह डिस्ट्रीब्यूटर देता था, जो अप्रार्थी संख्या–2 है, इसलिये अप्रार्थी संख्या–2 ने ही प्रार्थी को सेवा से हटाया होगा। अप्रार्थी संख्या–1 का इससे कोई सरोकार नहीं है। अतः प्रार्थी का क्लेम अस्वीकार कर खारिज किया जावे।

8. समस्त तर्को पर गम्भीरता पूर्वक मनन् करने के उपरान्त एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों के ससम्मान अध्ययन के उपरान्त उपरोक्त विवाद्यक बिन्दु पर हमारा निर्णय निम्नानुसार है :–

> ''क्या प्रार्थी श्रमिक श्री लेखराज पुत्र श्री ग्यासी राम नाई (जिसका प्रतिनिधित्व श्री देवेन्द्र सिंह महामंत्री, जिला सिनेमा मजदूर संघ, भरतपुर ने किया है) अप्रार्थी व्यवस्थापक, पिक्चर पैलेस कुम्हेर गेट भरतपुर एवं रिप्रेजेन्टेटिव, राजेन्द्र प्रसाद मैमोरिया फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर्स फिल्म कोलोनी, जयपुर के मध्य नियोजित–नियोजक का सम्बन्ध रहे है? यदि हॉ, तो क्या अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी श्रमिक श्री लेखराज पुत्रश्री ग्यासी राम को दिनांक 30.11.2007 से सेवा पृथक करना उचित एवं वैध है? यदि नहीं तो श्रमिक किस राहत एवं राशि को पाने का अधिकारी है?''

उक्त विवाद्यक के सम्बन्ध में, प्रार्थी ने अपने स्टेटमेंट ऑफ क्लेम के समर्थन में जो अपनी मौखिक साक्ष्य शपथ पत्र के रूप में पेश की है उसमें यह अभिलिखित किया है कि प्रार्थी श्रमिक ने अप्रार्थी के संस्थान पिक्चर पैलेस सिनेमा में दिनांक 01.01.1978 से गेट कीपर के पद पर कार्य किया है। प्रार्थी श्रमिक की तनख्वास से अप्रार्थी संस्थान द्वारा प्रोवीडेण्ट फण्ड की राशि हर माह काटी जाती थी, इस बाबत प्रार्थी ने भविष्य निधि विभाग जयपुर में शिकायत की थी, जिसके बाद दिनांक 30.11.2007 को बिना कोई कारण बताये और बिना कोई नोटिस दिये तथा अधिनियम की धारा 25एफ व 25जी की पालना किये बिना ही उसे सेवा से निकाल दिया गया। राजेन्द्र प्रसाद मेमोरिया फिल्म इण्डस्ट्रीज डिस्ट्रीब्यूटर्स फिल्म कोलोनी जयपुर ने पिक्चर पैलेस को लीज पर ले रखा है। व्यवस्थापक पिक्चर पैलेस तथा डिस्ट्रीब्यूटर्स के बीच 10 सालों से लीज पर ले रखा है। कर्मचारियों को तनख्वाह भी डिस्ट्रीब्यूटर्स ही देता रहा है। मालिक और डिस्ट्रीब्यूटर्स में किस तरह से एग्रीमेंट था यह

कर्मचारियों को पता नहीं है। दस्तावेज उसके द्वारा प्रदर्श डब्ल्यू–1 से प्रदर्श डब्ल्यू 15 पेश किये गये है।

9. अपनी जिरह में प्रार्थी ने कथन किया है कि यह कहना गलत है कि उसने पिक्चर पैलेस में काम नहीं किया हो। पिक्चर पैलेस कभी चल जाता है, कभी बन्द हो जाता। उसकी जानकारी में पिक्चर पैलेस का मालिक अशोक राठी है। उसे लगाने का नियुक्ति पत्र नहीं दिया। हरिचरन मुनीम हमारे हस्ताक्षर नहीं कराते थे, वैसे ही हाजरी कर देते थे। राजेन्द्र प्रसाद के हाथ कागज थे उनकी फोटोप्रति न्यायालय मे फाईल के साथ पेश की है। यह कहना गलत है कि उसने व राजेन्द्र प्रसाद शर्मा ने मिलकर झूंठे कागज बनाये हो। यह सही है कि हटाने की शिकायत किसी से नहीं की। उसने 20 साल पिक्चर पैलेस में काम किया है।

10. अप्रार्थी संख्या–1 की तरफ से उपस्थित गवाह मनोज शर्मा ने अपनी मुख्य परीक्षा जो शपथ पत्र पर पेश की है, जिसमें यह अभिलिखित किया है कि, पिक्चर पैलेस भरतपुर मे वह भागीदार है। संस्थान में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर वह जानकारी रखता है। अप्रार्थी संस्थान में प्रार्थी कभी भी काम पर नहीं रहा है और ना ही उसकी सेवा समाप्त की गई। अप्रार्थी संस्थान विभिन्न अवधियों में लीज पर रहा है। लीज धारक द्वारा ही संस्थान को संचालित किया गया है और लीज की अवधि पूर्ण होने के पश्चात लीज धारक द्वारा अप्रार्थी को संस्थान संभलवाने पर कर्मचारी सम्बन्धित लीज धारक के साथ ही अन्य कार्यस्थलों पर चले जाते रहे है। अप्रार्थी संस्थान वर्तमान में बन्द है और कोई भी कर्मचारी संस्थान में वर्तमान में नियोजित नहीं है।

11. गवाह मनोज शर्मा ने अपनी जिरह में कथन किया है कि पिक्चर पैलेस चन्द्रमणी शर्मा व अशोक कुमार राठी के नाम से है। यह दोनों आधे–आधे के पार्टनर है उसने पार्टनरशिप की भागीदारी का कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है। वह नहीं बता सकता है कि लेखराज ने 1978 से दिनांक 30.11.2007 तक कार्य किया हो। वह लेखराज को नहीं जानता।

12. समस्त तर्को पर गम्भीरता पूर्वक मनन करने के उपरान्त एवं अभिलेख पर प्रस्तुत मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य का गहन अवलोकन, विश्लेषण एव विवेचन करने के उपरान्त यह प्रकट होता है कि प्रार्थी ने स्वयं को अप्रार्थी संख्या 1 के अधीन दिनांक 01.01.1978 से दिनांक 30.11.2007 तक गेट कीपर के पद पर कार्य करना बताया है। अप्रार्थी के गवाह मनोज शर्मा ने अपनी जिरह में इस तथ्य से इन्कार नहीं किया है, बल्कि गोलमोल जवाब दिया है कि प्रार्थी ने उक्त अवधि में कार्य किया हो तो वह नहीं बता सकता। प्रदर्श डब्ल्यू 1 से प्रदर्श डब्ल्यू 9 हाजरी रजिस्टर है, जिन सभी में क्रमांक 10 पर प्रार्थी लेखराज का नाम अंकित है और उसकी हाजरी अंकित है। अतः प्रलेखीय साक्ष्य के आधार पर वह अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से इसका कोई खण्डन नहीं किये जाने के कारण यह तथ्य स्थापित हो जाता है कि प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 1 की संस्थान में बतौर गेट कीपर के रूप में कार्य किया है। अतः इस सम्बन्ध में प्रार्थी के सशपथ अभिवचन व अभिकथन अखण्डित रह जाते है।

13. अप्रार्थी संख्या–1 के मालिक/व्यवस्थापक मनोज शर्मा ने संस्थान को लीज पर दिया जाना बताया है, इसलिये कर्मचारियों के सम्बन्ध में अपनी अनभिज्ञता जाहिर की है, परन्तु संस्थान किन–किन अवधि में किन–किन लीज धारकों को लीज पर दिया गया, यह बताने मे असमर्थता जाहिर की है तथा लीज का कोई दस्तावेज भी पेश नहीं किया गया है। जवाब में भी अप्रार्थी संख्या–1 द्वारा संस्थान को लीज पर दिये जाने का कोई जिक्र नहीं है। चूंकि अप्रार्थी संख्या–1 ने तलब किये जाने के बावजूद दस्तावेजात एवं रिकार्ड पेश नहीं किया है तथा प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत रिकार्ड को अपना मानने से स्पष्ट इन्कार भी नही किया है, बल्कि अस्पष्ट रूप से जानकारी नहीं होना बताया है। अतः हमारी विनम्र राय में प्रार्थी अपने सशपथ अभिवचनों व अभिकथनों के आधार पर यह साबित करने में सफल रहा है कि प्रार्थी व अप्रार्थीगण के मध्य नियोजित एवं नियोजक के सम्बन्ध विद्यमान रहे है। प्रार्थी ने अपने शपथ पत्र में यह स्पष्ट रूप से कहा है कि 10 वर्ष से श्रमिकों का वेतन डिस्ट्रीब्यटर्स द्वारा दिया जाता है। अप्रार्थी के विद्वान प्रतिनिधि ने इसी आधार पर यह कहा है कि नियोक्ता अप्रार्थी संख्या–2 है। हम अप्रार्थी के विद्वान प्रतिनिधि

के इस तर्क से असहमति व्यक्त करते है कि अप्रार्थी संख्या–2 प्रार्थी का नियोजक है, क्योंकि प्रार्थी की नियुक्ति अप्रार्थी संख्या–1 के द्वारा किया जाना उपरोक्त विवेचन में पाया गया है और यदि प्रार्थी की सेवा को किसी अन्य को सौंपा गया है, तो इस सम्बन्ध में अधिनियम की धारा 9ए की पालना किया जाना अप्रार्थी संख्या–1 के लिये आज्ञापक प्रावधान था, जिसकी पालना अप्रार्थी संख्या–1 द्वारा नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में न्यायालय का विनम्र मत यह है कि भले ही प्रार्थी या अन्य संस्थान के कर्मचारियों को तनख्वाह सिनेमा के संचालन करने वाले संचालक द्वारा दी गई हो, परन्तु अधिनियम की धारा 9ए की पालना न किये जाने से प्रार्थी व संस्थान के अन्य कर्मचारी, अप्रार्थी संख्या–1 के ही कर्मचारी माने जावेगें। चूंकि प्रार्थी स्वयं को अप्रार्थी संख्या–1 का श्रमिक होना साबित करने में सफल रहा है। अतः ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से उसके पी.एफ. की राशि हर माह उसके वेतन से काटी गई होगी। प्रार्थी ने अपने शपथ पत्र में अप्रार्थी संस्थान द्वारा पी.एफ की राशि को हर महीने वेतन से काटी गई राशि को जयपुर कार्यालय में जमा नहीं कराने व खाता संख्या नहीं दिये जाने बाबत भविष्य निधि जयपुर को भी शिकायत किये जाने का कथन किया है। इस बिन्दु पर अप्रार्थी की ओर से प्रार्थी से कोई जिरह नहीं की गई है। अतः इस बिन्दु की हद तक प्रार्थी के सशपथ कथन अखण्डित रह जाते है।

14. प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या–1 की साक्ष्य से यह साबित होता है कि पिक्चस को चलाने के लिये कई कर्मचारियों की आवश्यकता होती है परन्तु कर्मचारियों की वरिष्ठता सूची बनाई गई हो इस प्रकार की भी कोई साक्ष्य अप्रार्थी संख्या–1 की तरफ से पेश नहीं की गई है जबकि अधिनियम की धारा 25जी के अनुसार वरिष्ठता सूची बनाया जाना आज्ञापक प्रावधान है।

15. प्रार्थी को अप्रार्थी संख्या–1 ने अपना श्रमिक होने से साफ इन्कार किया है, जबकि न्यायालय ने उक्त विवेचन में अप्रार्थी संख्या–1 के मालिक/ व्यवथापक मनोज शर्मा को प्रार्थी का नियोजक होना साबित पाया है। इसलिये यह स्वयं ही साबित हो जाता है कि प्रार्थी श्रमिक को सेवा से पृथक करने से पूर्व अधिनियम की धारा

25एफ की पालना नहीं की गई है और वरिष्ठता सूची पेश न करने से यह भी साबित है कि अधिनियम की धारा 25जी की पालना भी नहीं की गई है। प्रार्थी ने अपने शपथ पत्र व स्टेटमेंट ऑफ क्लेम में स्पष्ट रूप से यह अभिलिखित किया है जब वह दिनांक 30.11.2007 को ड्यूटी देने गया तो उसे ड्यूटी से मना कर दिया गया। प्रार्थी को ड्यूटी पर ना लेने का कारण भी व्यवस्थापक के द्वारा प्रोविडेंट फण्ड की राशि हर महीने प्रार्थी श्रमिक की तनख्वाह से काटे जाने के बावजूद भी जमा ना कराने पर भविष्य निधि विभाग जयपुर मे शिकायत करने के कारण सेवा समाप्त की गई है और इसी तथ्य पर प्रार्थी जिरह में भी अडिग रहा है। अप्रार्थी संख्या–1 की तरफ से कोई रिकार्ड पेश नहीं होने के कारण उपधारणा के आधार पर प्रार्थी के इस कथन को बल मिलता है कि अप्रार्थी संख्या–1 सिनेमा का व्यवस्थापक/मालिक ने हीं उसकी सेवा दिनांक 30.11.2007 को समाप्त की है, जो अवैध व अनुचित है।

16. अब न्यायालय को यह विचार करना है कि प्रार्थी अप्रार्थी संख्या–1 से क्या अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी है? इस तथ्य पर विचार करते समय न्यायालय हाजा ने यह पाया है कि संस्थान वर्तमान में बन्द है। इसलिये प्रार्थी को पुनः सेवा में लिये जाने का कोई प्रश्न नहीं है इसलिये प्रार्थी को सेवा नियोजन के स्थान पर एकमुश्त क्षतिपूर्ति राशि दिलाया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। प्रार्थी के द्वारा अप्रार्थी संस्थान में करीब 29 साल की सेवा गई है, को मध्ये नजर रखते हुये एकमुश्त क्षतिपूर्ति राशि 3,00,000/–रू0 (अक्षरो तीन लाख रू0) प्रार्थी को अप्रार्थी संख्या–1 से दिलाया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। यदि अप्रार्थी संख्या–1 द्वारा प्रार्थी को उक्त राशि का भुगतान दो माह में नहीं किया जाता है तो प्रार्थी अप्रार्थी संख्या–1 से उक्त राशि को पंचाट तिथि से ताअदायगी तक 6 प्रतिशत ब्याज भी प्राप्त करने का अधिकारी होगा तथा प्रार्थी को अप्रार्थी संख्या–1 से वाद व्यय के लिये 5,000/–रू0 (अक्षरे पॉच हजार रू0) दिलाया जाना उचित प्रतीत होता है।

17. परिणाम स्वरूप निम्न पंचाट पारित किया जाता हैः–

''कि प्रार्थीगण मृतक लेखराज पुत्र श्री ग्यासी राम नाई के वारिसान (1) लज्जावती पत्नी स्व0 श्री लेखराज एवं (2) महेश पुत्र स्व0 श्री लेखराज जरिये महामंत्री, देवेन्द्र सिंह जिला सिनेमा मजदूर संघ, भरतपुर (राज0) जरिये महामंत्री, देवेन्द्र सिंह जिला सिनेमा मजदूर संघ, भरतपुर यह साबित करने में सफल रहे है कि प्रार्थी (मृतक) लेखराज व अप्रार्थी संख्या–1 व्यवस्थापक, पिक्चर पैलेस, कुम्हेर गेट भरतपुर के मध्य नियोजित–नियोजक का सम्बन्ध रहा है और अप्रार्थी संख्या–1 द्वारा प्रार्थी (मृतक) लेखराज की दिनांक 30.11.2007 से सेवा पृथक करना अनुचित एवं अवैध है। इसलिये अप्रार्थी संख्या–1 को आदेश दिया जाता है कि वह प्रार्थीगण को एकमुश्त क्षतिपूर्ति राशि 3,00,000/–रू0 (अक्षरे राशि तीन लाख रू0) अदा करेगा। यदि अप्रार्थी संख्या–1 द्वारा प्रार्थीगण को उक्त राशि का भुगतान दो माह में नहीं किया जाता है तो प्रार्थीगण अप्रार्थी संख्या–1 से उक्त राशि पर पंचाट दिनांक से ताअदायगी तक 6 प्रतिशत ब्याज भी प्राप्त करने का अधिकारी होगा तथा अप्रार्थी संख्या–1 वाद व्यय हेतु प्रार्थी को 5,000/–रू0 (अक्षरे पॉच हजार रू0) भी अदा करेगा।

उक्त प्रकार से रेफरेन्स का उत्तर दिया जाकर पंचाट पारित किया जाता है। ''पंचाट की प्रति प्रकाशन हेतु राज्य सरकार को प्रेषित हो।''

(अतुल कुमार सक्सेना)
न्यायाधीश,
औद्योगिक अधिकरण एवं श्रम न्यायालय,
भरतपुर राज0

पंचाट आज दिनांक 09.03.2026 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(अतुल कुमार सक्सेना)
न्यायाधीश,
औद्योगिक अधिकरण एवं श्रम न्यायालय,
भरतपुर राज0